

2866

को पेश हो।

पत्रावली राजीव लाल अग्रवाल ने फेरफुटी
 जामिनी के वकील रूप में जामिनी के वकील
 के आदेश पर गौड अग्रवाल को दिये सिद्ध / उक्त
 आदेश गौड अग्रवाल के कारिज सिद्ध जाता है
 पत्रावली के अन्तर्गत एक पत्र है सप्रेम
 तथा दूसरे दाखिल है।